Real Estate Regulatory Authority Madhya Pradesh | भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश
रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष -0755-2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email Id:- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2024/I-G/M-13/F-13(2)/1414 भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर, 2024

आदेश

मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा सम्प्रवर्तक द्वारा त्रैमासिक विवरणिका समय पर न प्रस्तुत करने पर अधिरोपित विलम्ब शुल्क की दरों का पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेश क्रमांक 2024/IG/M-23/F-43(2)/611 दिनांक 11 मई, 2024 द्वारा किया गया था, इसी समसंख्यक आदेश द्वारा भू-संपदा अभिकर्ता द्वारा वार्षिक विवरणी समय पर प्रस्तुत न करने पर अधिरोपित विलम्ब शुल्क की दरों में भी पुनरीक्षण किया गया था।

प्राधिकरण के समक्ष यह जानकारी आयी है कि पुनरीक्षित दरों के आधार विलम्ब शुल्क की गणना करने में व्यवहारिक कठिनाईयां आ रही है। अतः सम्प्रवर्तक/ भू-संपदा अभिकर्ता पर भारित किए जाने वाले विलम्ब शुल्क की गणना हेतु प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है। तदनुसार विलम्ब शुल्क की गणना किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(डी. के. सिंह)
सचिव 20.11.24
म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

पृ.क्र. 2024/I-G/M-13/F-13(2)/1415 भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर, 2024

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, म. प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण।
2. निज सहायक, सदस्य (R), म. प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण।
3. निज सहायक, सदस्य (A), म. प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण।
4. विधि परामर्शी, म. प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण।
5. वित्त परामर्शी, म. प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण।
6. न्याय निर्णायक अधिकारी-01 एवं 02, म. प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण।
7. अपर सचिव, (सामान्य प्रशासन), म. प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण।
8. उपसचिव, (पंजीयन शाखा), म. प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण।
9. उपसचिव, (शिकायत शाखा), म. प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण।
10. तकनीकी परामर्शी, म. प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण।
11. आईटी शाखा (सामान्य प्रशासन) म. प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं पोर्टल पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी सह अवर सचिव, म. प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव 20.11.24
म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

उदाहरण प्रपत्र

त्रैमासिक विवरणी समय पर प्रस्तुत न किये जाने पर भारित विलम्ब शुल्क का गणना पत्रक

स.क.	विलम्ब की समयावधि	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क की दर	देय प्रगामी (Cummulative) विलम्ब शुल्क
1.	0–30 दिवस	रू. 500.00	रू. 500.00
2.	31– 60 दिवस	रू. 1000.00	रू. 1500.00
3.	61–90 दिवस	रू. 1000.00	रू. 2500.00
4.	91–120 दिवस	रू. 2000.00	रू. 4500.00
5.	121– 150 दिवस	रू. 2000.00	रू. 6500.00
6.	151– 180 दिवस	रू. 2000.00	रू. 8500.00
7.	181 दिवस से अधिक	रू. 2500.00 (प्रति माह)	रू. 11000.00 (180 दिवस पश्चात एक माह अधिक का विलम्ब मानते हुये)

भू संपदा अभिकर्ता द्वारा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत न किये जाने पर विलम्ब शुल्क का गणना पत्रक

स.क.	विलम्ब की समयावधि	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क की दर		देय प्रगामी (Cummulative) विलम्ब शुल्क	
		व्यक्तिगत श्रेणी के भू सपंदा अभिकर्ता हेतु	यदि भू सपंदा अभिकर्ता कंपनी/फर्म/एल. एल.पी. हेतु	व्यक्तिगत श्रेणी के भू सपंदा अभिकर्ता हेतु	यदि भू सपंदा अभिकर्ता कंपनी/फर्म/एल. एल.पी. हेतु
1	2	3	4	5	6
1.	0–30 दिवस	रू. 100.00	रू. 200.00	रू. 100.00	रू. 200.00
2.	31– 60 दिवस	रू. 150.00	रू. 300.00	रू. 250.00	रू. 500.00
3.	61–90 दिवस	रू. 150.00	रू. 300.00	रू. 400.00	रू. 800.00
4.	91–120 दिवस	रू. 200.00	रू. 400.00	रू. 600.00	रू. 1200.00
5.	121– 150 दिवस	रू. 200.00	रू. 400.00	रू. 800.00	रू. 1600.00
6.	151– 180 दिवस	रू. 200.00	रू. 400.00	रू. 1000.00	रू. 2000.00
7.	180 दिवस से अधिक	रू. 250.00 (प्रति माह)	रू. 500.00 (प्रति माह)	रू. 1250.00	रू. 2500.00

E:\Secy Sir Rera 2021\Data Received From Other Section\Technical Advisor\Late Fee Project.Docx

सचिव
म.प्र.भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

परिशिष्ट 02

Real Estate Regulatory Authority Madhya Pradesh | भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्र० 2024/I-G/M-13/F-13(2)/611 भोपाल, दिनांक 11 मई, 2024

आदेश

मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26 अप्रैल, 2024 में प्रस्तुत किए गए विषय क्रमांक 11, त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब पर विलम्ब शुल्क अधिरोपण के संबंध में लिए निर्णय के अनुक्रम में, पूर्ववर्ती आदेश क्रमांक रेरा/FC/2018/Fee दिनांक 24-07-2018 एवं आदेश क्रमांक रेरा/2022/1-G/M-13/F-62/ 1102 दिनांक 03 अगस्त, 2022 को अधिक्रमित करते हुए, प्राधिकरण एतद् द्वारा भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 34(e) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परियोजना की त्रैमासिक विवरणी को पोर्टल पर समय पर अपलोड न करने की स्थिति में निम्नानुसार विलम्ब शुल्क अधिरोपित करने के आदेश प्रसारित करता है :-

1. परियोजना की प्रत्येक त्रैमासिक विवरणिका समय-सीमा में प्रस्तुत न करने पर निम्नानुसार विलम्ब शुल्क देय होगा :-

स.क्र.	विलम्ब की समयसीमा	विलम्ब शुल्क
1.	30 दिवस तक	500 रूपये
2.	31 से 60 दिवस हेतु	1000 रूपये
3.	61 से 90 दिवस हेतु	1000 रूपये
4.	91 से 120 दिवस हेतु	2000 रूपये
5.	121 से 150 दिवस हेतु	2000 रूपये
6.	151 से 180 दिवस हेतु	2000 रूपये
7.	180 से अधिक (प्रतिमाह)	2500 रूपये

2.1 मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 के नियम 14 के अनुसार भू-संपदा अभिकर्ता से आपकर अधिनियम, 1961 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप लेखा बही, रिकार्ड एवं अभिलेख तैयार करने एवं परिरक्षित करने की व्यवस्था की गई है।

2.2 अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अभिलेख, आगामी वित्तीय वर्ष के 31 मई तक निर्धारित प्रारूप में पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।

2.3 प्राधिकरण ने दिनांक 26-04-2023 की बैठक में यह भी निर्णय लिया है कि भू-संपदा अभिकर्ता की वार्षिक विवरणिका समय-सीमा में प्रस्तुत न करने पर मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 के नियम 34(e) के संदर्भ में निम्नानुसार विलम्ब शुल्क देय होगा :-

स. क्र.	समय-सीमा	व्यक्तिगत अभिकर्ता हेतु विलम्ब शुल्क	फर्म/ कम्पनी/ एलएलपी/ हेतु विलम्ब शुल्क
1.	30 दिवस तक	100 रूपये	200 रूपये
2.	31 से 60 दिवस हेतु	150 रूपये	300 रूपये

निरन्तर...

स. क्र.	समय-सीमा	व्यक्तिगत अभिकर्ता हेतु विलम्ब शुल्क	फर्म/ कम्पनी/ एलएलपी/ हेतु विलम्ब शुल्क
3.	61 से 90 दिवस हेतु	150 रूपये	300 रूपये
4.	91 से 120 दिवस हेतु	200 रूपये	400 रूपये
5.	121 से 150 दिवस हेतु	200 रूपये	400 रूपये
6.	151 से 180 दिवस हेतु	200 रूपये	400 रूपये
7.	06 माह से अधिक (प्रतिमाह)	250 रूपये	500 रूपये

3. सम्प्रवर्तक द्वारा परियोजना की त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा पूर्ववत् रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

4. भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 61 एवं 63 के अंतर्गत शास्ति अधिरोपण के अधिकारों का प्रयोग पूर्ववत् किया जायेगा।

5. यदि कोई त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन या वार्षिक विवरणी समय पर अपलोड नहीं की जाती है, तो निर्धारित विलम्ब शुल्क भरने के उपरांत आवेदन देने पर ही पोर्टल पर उक्त अभिलेख अपलोड करने की सुविधा आगामी 30 दिवस के लिए उपलब्ध हो सकेगी।

6. 30 दिवस के भीतर परियोजना का त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन या भू-संपदा अभिकर्ता की वार्षिक विवरणी अपलोड न करने पर, 30 दिवस के उपरांत त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन हेतु राशि रूपए 2500/- प्रतिमाह एवं भू-संपदा अभिकर्ता वार्षिक विवरणी न अपलोड करने पर व्यक्तिगत श्रेणी में राशि रूपए 250/- एवं अन्य श्रेणी में राशि रूपए 500/- प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा।

यह आदेश दिनांक 01-04-2024 के पश्चात् प्रभावी होगा। दिनांक 31-03-2024 की स्थिति में उद्‌भूत विलम्ब शुल्क यथावत रहेगा। दिनांक 01-04-2024 के उपरांत विलम्ब शुल्क की गणना इस आदेश के अनुसार होगी।

(प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

(नीरज दुबे)
सचिव
म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

पृ.क्र० 2024/I-G/M-13/F-13(2)/6 / 2 **भोपाल, दिनांक 11 मई, 2024**

प्रतिलिपि :-

1) निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
2) निज सहायक, सदस्य(R), म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
3) निज सहायक, सदस्य(A), म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
4) विधि परामर्शी, म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
5) वित्त परामर्शी, म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
6) न्याय निर्णायक अधिकारी- 01 एवं 02, म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
7) अपर सचिव(सामान्य प्रशासन) म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
8) उपसचिव(पंजीयन शाखा), म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
9) उपसचिव(शिकायत) म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
10) तकनीकी सलाहकार, म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
11) आईटी शाखा (सामान्य प्रशासन) म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं पोर्टल पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
12) समस्त अनुभाग अधिकारी सह अवर सचिव, म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

Real Estate Regulatory Authority Madhya Pradesh | भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्र० 2024/I-G/M-13/F-13(2)/653 **भोपाल, दिनांक 16 मई, 2024**

शुद्धि -पत्र

परियोजना की प्रत्येक त्रैमासिक विवरणिका समय-सीमा में प्रस्तुत न करने पर देय विलम्ब शुल्क संबंधी प्राधिकरण के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 मई 2024 की कंडिका-2.3 पर अंकित प्राधिकरण के बैठक दिनांक 26.04.2023 के स्थान पर **"दिनांक 26.04.2024"** पढ़ा जाए।

(नीरज दुबे)
सचिव
म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

पृ.क्र० 2024/I-G/M-13/F-13(2)/654 **भोपाल,दिनांक 16 मई, 2024**
प्रतिलिपि :-

1) निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
2) निज सहायक, सदस्य(R), म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
3) निज सहायक, सदस्य(A), म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
4) विधि परामर्शी, म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
5) वित्त परामर्शी, म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
6) न्याय निर्णायक अधिकारी- 01 एवं 02, म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
7) अपर सचिव(सामान्य प्रशासन) म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
8) उपसचिव(पंजीयन शाखा), म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
9) उपसचिव(शिकायत) म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
10) तकनीकी सलाहकार, म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
11) आईटी शाखा (सामान्य प्रशासन) म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं पोर्टल पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
12) समस्त अनुभाग अधिकारी सह अवर सचिव, म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

C:\Users\Acer\Desktop\Ancient Late Fees.Docx - 2 -